कार्यालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 274 / 2022

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. रूगाराम पुत्र गिरधारीराम उम्र 62 वर्ष 2. हनुमानराम पुत्र गिरधारीराम उम्र 54 वर्ष 3. रामाराम पुत्र गिरधारीराम उम्र 40 वर्ष 4. श्रीमति चुनीदेवी पत्नी गिरधारीराम उम्र 84 वर्ष 5. वालीदेवी पुत्री गिरधारीराम उम्र 53 वर्ष 6. लालीदेवी पुत्री गिरधारीराम उम्र 50 वर्ष 7. सत्यदेवी पुत्री गिरधारीराम उम्र 44 वर्ष 8. दलीदेवी पुत्री गिरधारीराम उम्र 47 वर्ष जातियान जाट निवासी भाभूओ की बेरी पटवार हल्का आसुओ की ढाणी तहसील नोखडा जिला बाडमेर	1. ठाकाराराम पुत्र रायमलराम उम्र 64 वर्ष 2. पुराराम पुत्र रायमलराम उम्र 73 वर्ष 3. भीखाराम पुत्र शोभाराम उम्र 65 वर्ष 4. देराजराम पुत्र शोभाराम उम्र 61 वर्ष 5. भीखाराम पुत्र खेमाराम उम्र 64 वर्ष 6. राउराम पुत्र खेमाराम उम्र 62 वर्ष 7. श्रीमति गवरी पत्नी खेमाराम उम्र 90 वर्ष 8. पदमाराम पुत्र राजूराम उम्र 62 वर्ष 9. हरखाराम पुत्र राजूराम उम्र 46 वर्ष 10. सोनीदेवी पुत्री राजूराम उम्र 54 वर्ष 11. श्रीमति खेमीदेवी पत्नी राजूराम उम्र 82 वर्ष 12. हेमन्त आसु पुत्र हरखाराम उम्र 20 वर्ष 13. देवीसिह पुत्र हनुमानराम उम्र 50 वर्ष 14. चौखाराम पुत्र हनुमानराम उम्र 48 वर्ष 15. श्रीमति मूलीदेवी पत्नी हनुमानराम उम्र 66 वर्ष 16. लक्ष्मी पुत्री हनुमानराम उम्र 53 वर्ष 17. चुनाराम पुत्र पोकरराम उम्र 64 वर्ष 18. मोहनराम पुत्र केहनाराम उम्र 29 वर्ष 19. भवरी पत्नी मोहनराम उम्र 30वर्ष 20. लक्ष्मणराम पुत्र केहनाराम उम्र 24 वर्ष 21. श्रीमति वालीदेवी पत्नी केहनाराम उम्र 52 वर्ष 22. ठाकराराम पुत्र गुमनाराम उम्र 49 वर्ष 23. नारणाराम पुत्र गुमनाराम उम्र 40 वर्ष 24. श्रीमति खेतुदेवी पत्नी गुमनाराम उम्र 81 वर्ष 25. अणछी पुत्री गुमनाराम उम्र 50 वर्ष 26. उमीदेवी पुत्री गुमनाराम उम्र 30 वर्ष 27. गेनी पुत्री गुमनाराम उम्र 62 वर्ष 28. मीरोदेवी पुत्री गुमनाराम उम्र 55 वर्ष 29. वरजूदेवी पुत्री गुमनाराम उम्र 51 वर्ष 30. वेहनीदेवी पुत्री गुमनाराम उम्र 33 वर्ष 31. मेहराराम पुत्र करनाराम उम्र 58 वर्ष 32. उमाराम पुत्र करनाराम उम्र 51 वर्ष 33. श्रीमति अणछी पत्नी मेहराराम उम्र 55 वर्ष जातियान जाट निवासी सारणो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 34. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्गग्रमीण बैंक शाखा होडू 35. तहसीलदार [illegible] सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:12 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विशनोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 35 के पैरोकार सरकार उप0।
3. श्री नारायण कुमावत प्रार्थीगण सं. 1,3,4 से 6 ,8,13,14, तथा 18 से 20।
4. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

निर्णय

दिनांक— 24.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 12 का पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत मौजा सारणो की ढाणी पटवार हल्का नेहरो की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 410/134 रकबा 2.7668 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम मौजा आसुओ की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 16 रकबा 0.0485 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी खसरा नम्बर 17 हैक्टेयर 1.9982 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 43 रकबा 3.7538 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, मौजा चिपडीनाडी पटवार हल्का नेहरो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 364 रकबा 6.4396 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम मौजा भाभूओ की ढाणी पटवार हल्का आसुओ की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 563 रकबा 7.9282 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम खसरा नम्बर 563/2 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम तथा खसरा नम्बर 545 रकबा 4.2715 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का जिसमे प्रार्थीगण सख्या 1 से 8 का सयुक्त 1/5 हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/40–1/40 हिस्सा तथा शेष हिस्सा विपार्थी सख्या 1 से 12 का सयुक्त 4/5 हिस्सा सयुक्त खातेदारी के आये हुये है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 33 का पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत मौजा भाभूओ की बेरी पटवार हल्का आसुओ की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 548 रकबा 3.7214 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व मौजा सारणो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 135 रकबा 27.5141 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम उक्त आराजी मे प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/80 –1/80 हिस्सा अर्थात प्रार्थीगण का 1/10 हिस्सा के अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। जिस पर पक्षकारान की ढाणीया, टांके, चारा तथा मवेशीयो बाड़े इत्यादि बनें हुऐ है। राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान के हिस्से दर्ज है तथा खाता संयुक्त रूप से दर्ज है परन्तु पक्षकारान के बीच वादग्रस्त आराजी का विधीवत बटवाडा नही हुआ है बाहमी बटवाडा के अनुसार मौके पर काबिज है लेकिन कानूनी रूप से बंटवारा किया हुआ नही होने से विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की सेठा माठतौड़ कर कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करते है तथा वर्तमान मे पक्षकारो की सख्या अधिक होने से विवाद व झगडा की स्थिति हो जावेगी, इसलिये प्रार्थीगण वाद ग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तथा बटवाडा करने का इन्कार होने से, बेचान करने को आमदा होने से, वर्तमान में पक्षकारान के परिवार की संख्या में वृद्धि हो जाने पर कब्जा काश्त में समस्या होने तथा अपने हिस्से की भूमि को उपजाउ बनाने के लिये विप्रार्थीगण को तहसील कार्यालय मे चल कर विभाजन कराने की बात की तब विप्रार्थीगण वाद ग्रस्त आराजी का विभाजन करवाने हेतु सहमत नही हुए तथा विप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को नुकसान कारीत करने के लिए उसके कब्जा वाली आराजी मे सभी विप्रार्थीगण मिलकर अच्छी से अच्छी की आराजी का कब्जा करने पर आमदा है, प्रार्थीगण को बाहामी बटवाडा 40 वर्षो से मिले खेतो मात्र बेदखल करने की धमकी दी गई । यदि विप्राथीगण अपने इस मकसद में कामयाब हो [illegible] गण को अपुरणीय क्षति होगी जिसकी पुर्ति की जाना भविष्य में संभव नही होगा। [illegible] वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप [illegible] आराजी बटवाडा करवाये किये जा रहे फेरबेदल व बेचान करने अथवा कब्जा मे परिवर्तन [illegible] रोकने के लिए विप्राथीगण के विरूद अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 1,3,4 से 6 ,8,13,14, तथा 18 से 20 की तरफ से वकील श्री नारायण कुमावत उपस्थित हुए। तथा शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई

उपखण्ड अधिकारी
SDO सिणधरी

प्त अवसर दिए जाने के उपरांत उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
ल में लाई गई।

हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि मौजा सारणो की ढाणी पटवार हल्का नेहरो की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 410/134 रकबा 2.7668 हैक्टेयर मौजा आसुओ की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 16 रकबा 0.0485 हैक्टेयर खसरा नम्बर 17 हैक्टेयर 1.9982 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 43 रकबा 3.7538 हैक्टेयर, मौजा चिपडीनाडी पटवार हल्का नेहरो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 364 रकबा 6.4396 हेक्टेयर मौजा भाभओ की ढाणी पटवार हल्का आसुओ की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 563 रकबा 7.9282 हेक्टेयर,खसरा नम्बर 563/2 रकबा 0. 2023 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 545 रकबा 4.2715 हैक्टेयर व मौजा भाभूओ की बेरी पटवार हल्का आसुओ की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 548 रकबा 3.7214 हैक्टेयर तथ मौजा सारणो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 135 रकबा 27.5141 हैक्टेयर भूमी पक्षकारान के संयुक्त एवं पैतृक कब्जे काश्त की भूमी अवस्थित है। पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी एवं बंदौबस्त रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान के हिस्से खुले हुए है, एसी स्थिति में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बेचान इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी।ऐसी स्थिति में प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा सारणो की ढाणी पटवार हल्का नेहरो की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 410/134 रकबा 2.7668 हैक्टेयर मौजा आसुओ की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 16 रकबा 0.0485 हैक्टेयर खसरा नम्बर 17 हैक्टेयर 1. 9982 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 43 रकबा 3.7538 हैक्टेयर, मौजा चिपडीनाडी पटवार हल्का नेहरो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 364 रकबा 6.4396 हेक्टेयर मौजा भाभओ की ढाणी पटवार हल्का आसुओ की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 563 रकबा 7.9282 हेक्टेयर,खसरा नम्बर 563/2 रकबा 0. 2023 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 545 रकबा 4.2715 हैक्टेयर व मौजा भाभूओ की बेरी पटवार हल्का आसुओ की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 548 रकबा 3.7214 हैक्टेयर तथ मौजा सारणो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 135 रकबा 27.5141 हैक्टेयर के संबंध में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्याया... में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर सिणधरी